गाधिक मिजिस्ट्रेट प्रथम लोक सिजा स्थाप कार्या

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। फरियादी जुबैदा उप0।

फरियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

5-8/8

ON SEONA

उनके द्वारा प्रशिक्ति मध्यस्थ श्रीडी०सी० थपलियाल, एएसजे गोहद का चुनाव किया है। जाने पर 并坡 सबध मध्यस्थता उभयपक्षों से

जो भी हो दिनांक 22.01.17 तक सूचित करें। सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर क्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 17.01.17 को त नध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 17.01.17 को । उपरिथत हो। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि है मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को जि मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हो। मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल मध्यस्थता अतं: ब्रो

22.01.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रविदेन की प्रकरण आगामी दिनांक

प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A. R. Carpta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

The sept.

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपक्षित। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री कैनिक सर्केर उप0। मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता की टीप प्राप्त।

त्र, अतर्गति धारा 320 अनुमति आवेदन पत्र फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एस0एस0 छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज तोमर एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री के०पी० राठौर द्वारा की गई। , हम राजीनामा आवेदन पत्र, द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युव प्रस्तुत किया गया। तिक अरेर स फरियादी की की छायाप्रति सहित

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया । ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के फरियादी

है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने गुधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन फरियादी द्वारा 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है 325 न्यायालय की अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं होता है। धारा क जाना न्यायोचित दर्शित पर भाठद०वि० आपराधिक प्रशासन के आभियुक्त स्वीकार किया शमनीय

अधिर पर अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। से राजीनामा के भा०द०वि० के अपराध आरोपों जिसका प्रमाव व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। मय बाद तस्दीक अनुमित प्रदान की जाती राजीनामा 325 अभियुक्त के प्रतिभूति को धारा अतः क अभियुक्त उपशामन

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार का परिणाम प्रकरण

कत हो।

Indicial Magistrate First Class